राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(3)नविवि/3/80 पार्ट–II जयपुर, दिनांक :– 10 JUN 2021

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार द्वारा नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प. 10(3)नविवि/3/80 पार्ट–I दिनांक 22.11.2017 के द्वारा कोटा मास्टर प्लान–2031 को अधिसूचित कर दिया गया था। उक्त अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के द्वारा यथा अधिसूचित कोटा नगरीय क्षेत्र (राज्य सरकार की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15.04.2005 द्वारा अधिसूचित कोटा मास्टर प्लान–2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र एवं अधिसूचना दिनांक 04.08.2014 द्वारा अधिसूचित कैथून मास्टर प्लान–2023 के क्षेत्र को छोडकर) के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2031 का अनुमोदन कर दिया गया, की निरन्तरता में कोटा मास्टर प्लान–2031 सम्पूर्ण क्षेत्र (कोटा मास्टर प्लान–2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र एवं अधिसूचना दिनांक 22.11.2017 के द्वारा अधिसूचित कोटा नगरीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एवं कैथून मास्टर प्लान–2023 के क्षेत्र को छोडकर) को इकजाई रूप से अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त मास्टर प्लान की प्रति का अवलोकन नगर विकास न्यास, कोटा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, कोटा।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
8. आयुक्त, नगर निगम, कोटा।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner